



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 10.04.2024

- अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त/चोर को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये रूपयों में से 3320 रूपये तथा 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेन्ज कानपुर, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रूरा पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग 01 नफर शातिर चोर पंकज कुमार पुत्र स्व० परशुराम निवासी ग्राम असेनी थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 26 वर्ष को तिगाई नहर पुल से करीब 100 कदम आगे ग्राम रोशनमऊ की तरफ जाने वाली सड़क से दिनांक 09.04.2024 को 21.35 बजे मय 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज व मु०अ०सं० 121/2023 धारा 457/380 भा०द०वि० से सम्बन्धित चोरी किये रूपयो में से 3320 रूपयों सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 121/2023 में अभियुक्त पंकज उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाते हुए धारा 411 भा०द०वि० की बढोत्तरी की गयी तथा थाना रूरा पर मु०अ०सं० 120/2024 धारा 3/25 आर्म्स बनाम पंकज उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. पंकज कुमार पुत्र स्व० परशुराम निवासी ग्राम असेनी थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 121/2023 धारा 457/380/411 भादंवि थाना रूरा कानपुर देहात।
2. मु०अ०सं० 120/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा कानपुर देहात।

बरामदगी-

1. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज
2. मु०अ०सं० 121/2023 से सम्बन्धित चोरी किये 3320 रूपये।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह,
2. का० 839 सत्यपाल,
3. का० 653 विवेक कुमार,